इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी 2016—फाल्गुन 7, शक 1937

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरः स्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2016

क्र. एफ 6-1-2016-एचास-2.—राज्य शासन द्वारा एतद्द्वारा स्वयं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध रक्षा कर वीरता दिखाने वाली महिला अरूणा शानबाग के नाम से महिला हिंसा के विरुद्ध वीरता पुरस्कार हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

अरूणा शानबाग वीरता पुरस्कार नियम

1.प्रस्तावना:—हमारे संविधान में महिलाओं और पुरूषों को समान रूप से शिक्षा और आजीविका प्राप्त करने, स्वंतत्र रूप से कहीं भी आने जाने, अपने विचारों को अभिव्यक्ति, आत्मरक्षा आत्म

सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया है। किंतु कई बार अपराधिक और असामाजिक तत्वों से महिलाओं की गरिमा और अस्मिता को आघात पहुचँता है। अनेक महिलाऐं इन तत्वों के कारण शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो जाती है, उन्हें अपमान जनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। जो महिला स्वयं के बचाव में इस हिंसा के विरूद्व प्रतिक्रिया करती है/प्रतिउत्तर देती है। उन्हे कोई प्रोत्साहन ,राहत व सहयोग नही मिलता, जिससें उनके ऐसे कार्य अनदेखे, अनजाने व अनचीन्हें रह जाते है।

इसलिये राज्य सरकार की सोच हैं कि अपराधिक और असामाजिक तत्वों के विरूद्व साहस का प्रदर्शन कर स्वयं का बचाव करने वाली महिला को सम्मानित किया जाये ताकि अन्य महिलाओं को भी अपनी अस्मिता और रक्षा के लिए समुचित कदम उठाने की प्रेरणा मिल सके और ऐसे तत्वों के दुस्साहस पस्त हो सकें। इसी सोच को अमलीजामा पहनाने के लिए 19 मई 2015 को महिला पंचायत में मान. मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं के यौन उत्पीड़न के विरूद्व रक्षा कर वीरता दिखाने वाली महिला "अरूणा शानबाग के नाम से महिला हिंसा के विरूद्व वीरता पुरस्कार" की घोषणा की गई ।

2. शीर्षक:– यह नियम " अरूणा शानबाग वीरता पुरस्कार " कहलाऐंगें और म.प्र. राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होंगे।

3. पात्रता:–घटना जिसमें किसी महिला द्वारा स्वयं की किसी भी प्रकार की हिंसा का वीरता पूर्वक स्वयं का बचाव करते हुए अवर्णनीय कार्य किया हो। घटना प्रदेश में ही 1 जनवरी से 31 दिसम्बर के बीच घटित हुई हो।

4. विस्तार क्षेत्र:--यह पुरस्कार महिला द्वारा मध्य प्रदेश में किए गए वीरतापूर्ण कार्यो हेतु दिया जायेगा।

5. सम्मान का स्वरूप:– यह योजना " अरूणा शानबाग वीरता पुरस्कार " कहलायेगी । स्वयं के विरूद्व हिंसा से बचाव कर वीरता का प्रदर्शन कर करने वाली महिला को " अरूणा शानबाग वीरता पुरस्कार " से सम्मानित किया जायेगा। यह प्रदेश स्तरीय पुरस्कार रूपये एक लाख का होगा। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष राज्य स्तर पर चयनित महिला को सम्मानित किया जायेगा।

6. चयन समिति:– प्रत्येक वर्ष के पुरस्कारो के लिए चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया जायेगा:–

6.1 राज्य स्तर पर:-- विभागीय मंत्री जी द्वारा प्रति वर्ष प्रदेश की विख्यात दो समाज सेवी महिला को नामांकित किया जायेगा। महिला बाल विकास विभाग ,सामाजिक न्याय विभाग एवं गृह विभाग से सचिव स्तर पर तीन शासकीय अधिकारियों को शामिल कर चयन समिति का गठन किया जावेगा।

6.2 चयन समिति की शक्तियॉं:--

- चयन समिति द्वारा किये गए चयन पर विभागीय मंत्री द्वारा अनुमोदन दिया जायेगा।
- पुरस्कार चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।
- प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए राज्य स्तर पर एक महिला का चयन किया जायेगा। अपवाद की स्थिति में समान घटना के लिए प्राप्त प्रस्ताव में चयन समिति द्वारा एक से अधिक महिलाओं का चयन करने पर पुरस्कार राशि समान भागों में वितरित किया जायेगी।
- चयन समिति की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी. उसके द्वारा लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुये विचार विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नही रखा जायेगा।
- चयन समिति के माननीय अशासकीय सदस्यों को चयन प्रकिया के लिये आमंत्रित किये जाने पर उन्हे राज्य के वरिष्ट अधिकारी ग्रेड ए के समकक्ष रेल यात्रा की श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

7. चयन की प्रकिया:-पुरस्कारों के लिए उपयुक्त महिला के चयन की प्रकिया, निम्नानुसार रहेगी:-

7.1 जिस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना है। उस वर्ष राज्य स्तर की प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक/आयुक्त संचालनालय महिला सशक्तिकरण, महिला एवं बाल विकास की ओर से प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर एवं दिसम्बर में प्रमुख प्रादेशिक समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया में राज्य शासन की ओर से विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। प्रविष्टियां 10 जनवरी तक प्राप्त की जाएंगी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्ठियां विचार के लिए मान्य नही की जाएंगी परन्तु विज्ञप्ति जारी करने आदि के समय में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेगा।

7.2 उपरोक्तानुसार पात्रता रखने वाले महिला स्वयं या महिला से सुपरिचित व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए प्रविष्टि संचालक/आयुक्त,महिला सशक्तिकरण की ओर निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत कर सकेंगें:-

7.2.1 वीरता पूर्ण कृत्य करने वाली महिला का पूर्ण परिचय।

7.2.2 संबंधित घटना का तथ्यात्मक पूर्ण विवरण।

7.2.3 प्रमाण स्वरूप अखबार की कतरन/छायाचित्र/एफ.आई.आर/एम.एन.सी/सोनोग्राफी/सी.सी.टी.वी.केमरा/आदि की प्रति।

7.2.4 यदि अन्य कोई वीरता का कार्य किया गया हो तो उसका तथ्यात्मक/संस्थात्मक विवरण।